

अति—आवश्यक

राजस्थान—सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग—5)

एफ—27(71)ग्रावि/अनु.—5/सरपंच ज्ञापन/2015—16 जयपुर, दिनांक २७ नवम्बर, 2015

स्थायी आदेश संख्या— 22 / 2015

विभागीय परिपत्र संख्या— 17/2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका—2015, भाग—1 जारी की गई थी। इस क्रम में बिन्दु संख्या 11.1 एवं तालिका—1 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स प्रशासनिक स्वीकृति (संशोधित सहित) (पृष्ठ संख्या 221) में वर्णित प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करने के निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

- निर्देश संख्या 11.1 स्वामित्व आवश्यकता एवं प्रक्रिया में परिसम्मतियों की श्रेणीयों में से सड़क निर्माण कार्यों हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि पर सम्बन्धित कास्तकारों से सहमति, शपथ—पत्र पर लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।
- तालिका —1 शिड्यूल ऑफ पावर— प्रशासनिक स्वीकृति (संशोधित सहित)

क्र. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियाँ निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)		शर्तें/टिप्पणियां
			नवीन	रखरखाव/ स्वीकृति	
1	2	3	4	5	6
1	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक व सांसद कोष के अतिरिक्त)	ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें/टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 16 से यथावत लागू होगी।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव, ग्रावि

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-**

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त; राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.प., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

  
(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि